भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2494
दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

जेल में आपराधिक गतिविधि

2494. श्री संगम लाल गुप्ताः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित जेलों के अंदर आपराधिक गतिविधियों के क्रियान्वयन को रोकने हेतु संभावित ठोस कदम उठाए जाने की संभावना है;
(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार किया जाएगा; और
(ग) क्या गंभीर आपराधिक रिकॉर्डों वाले कैदियों वाली जिला जेलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष पुलिस बल की तैनाती की जा रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): 'कारागार' और 'उनमें बन्द व्यक्ति' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के अनुसार राज्य के विषय हैं। इस प्रकार, राज्य सरकारें कारागार की सुरक्षा तथा कारागार परिसरों में आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने सहित हिरासत प्रबंधन और कारागार प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारें ऐसे कारागार की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्षम हैं, जहां गम्भीर आपराधिक रिकार्ड वाले कैदी रखे गए हैं। तथापि, गृह मंत्रालय ने कारागार में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा कैदियों से मिलने आए लोगों की सावधानीपूर्वक जांच करने हेतु एक तंत्र विकसित करने, न्यायालयों/अस्पतालों से वापस आए कैदियों की नियमित जांच करने, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक जांच और उनके दौरे इत्यादि हेतु राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की हैं। उनको यह भी सलाह दी गई है कि वे कारागार सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए अत्याधुनिक कारागार निगरानी प्रणाली के साथ सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल जैमर लगाएं तथा कैदियों की गतिविधियों का प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण करने के लिए पर्याप्त संख्या में कारागार स्टॉफ नियुक्त करें।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य और संघ राज्यों को मॉडल कारागार मैनुअल, 2016 भी परिचालित किया है जिसमें 'हिरासत प्रबंधन' तथा 'कारागार का निरीक्षण' के बारे में अध्याय हैं।

मॉडल कारागार मैनुअल, 2016 में यह भी प्रावधान किया गया है कि त्वरित कार्रवाई दल (क्यूआरटी) सभी केन्द्रीय और जिला कारागारों में किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार रहें।

******